यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लो0नि0वि0, मसूरी वृत्त, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लो0नि0वि0, मसूरी वृत्त, देहरादून** के माह 11/2016 से 04/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 04.05.2018 से 08.05.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार एवं श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 23.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 01/2013 से 10/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 04/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा मसूरी वृत्त के अधीन स्थापित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु समन्वय के साथ–साथ तकनीकी विशिष्टियों पर परामर्श, परियोजना रिपोर्टो का मूल्यांकन, वृत्त के अधीन आधिक्य/बिचलन की स्वीकृतियॉ, निरीक्षण तथा अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मसूरी वृत्त के अधीन स्थापित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयॉ है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को सम्पादित किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2015–16	–	–	–	–	35.16	32.64
2016–17	–	–	–	–	47.17	35.69
2017–18	–	–	–	–	47.47	37.85

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय
2015–16	–	–	–	–
2016–17	–	–	–	–
2017–18	–	–	–	–

(iii) इकाई को बजट आबंटन मुख्य अभियंता, गढवाल क्षेत्र, देहरादून के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ग" श्रेणी की है। कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

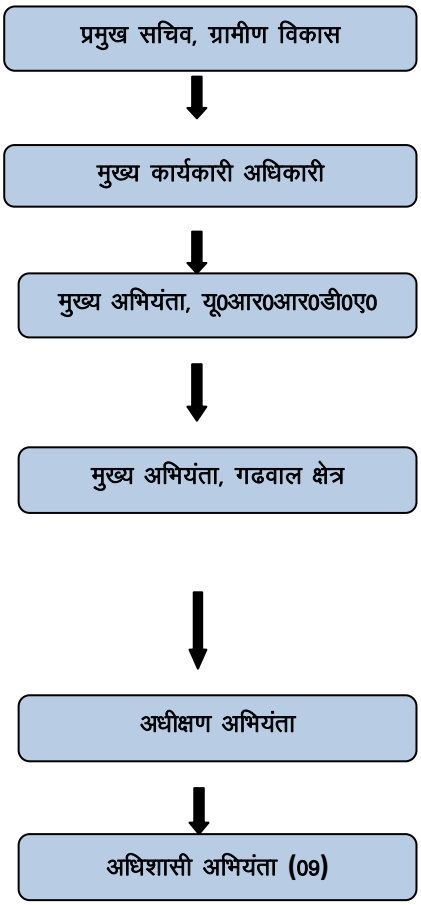

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लो0नि0वि0, मसूरी वृत्त, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लो0नि0वि0, मसूरी वृत्त, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मई 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 प्रशिक्षण पर हुए रु0 17,162 का अनियमित व्यय।

बोर्ड आफ अप्रन्टिशशिप ट्रेनिंग, कानपुर द्वारा अप्रेन्टिशशिप एक्ट 1961 के सैक्शन 8(3ए) के प्राविधानों के अन्तर्गत 127 डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को सूची प्रेषित की गयी जिसके अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाना था तथा नियुक्त किए गये डिप्लोमाधारक को शासन द्वारा निर्धारित प्रतिमाह की दर से देय छात्रवृत्ति का 50 प्रतिशत भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत लो0नि0वि0 द्वारा वहन किया जाना था। इस प्रकार का समस्त व्यय लो0नि0वि0 के मुख्यशीर्ष 2059 के नामे डाला जाएगा।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, पी0एम0जी0एस0 वाई0, लो0नि0वि0, मसूरी वृत्त, देहरादून के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मसूरी वृत्त कार्यालय द्वारा एक प्रशिक्षणार्थी कु0 पूनम को कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 300/20 प्रशिक्षण प्रशिक्षु/2014 दिनॉक 03.03.2014 के निर्देशानुसार दिनॉक 02.04.2014 से 30.11.2014 तथा दिनॉक 01.03.2015 से 30.06.2015 तक एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि के दौरान देय छात्रवृत्ति की धनराशि रु0 17,182 का भुगतान पी0एम0जी0एस0वाई0 की मद से किया गया, जो कि अनियमित था क्योंकि पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है तथा इसके अधीन किया गया व्यय योजना से सम्बन्धित क्रियाकलापों पर ही किया जाना चाहिए था न कि अन्य विभाग द्वारा नामित प्रशिक्षणार्थी हेतु इस धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए था। यदि पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्डीय कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण दिया भी गया तो इसकी प्रतिपूर्ति लो0नि0वि0 विभाग द्वारा ही की जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधीक्षण अभियंता ने उत्तर में बताया कि प्रशिक्षण प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के निर्देशानुसार दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि प्रशिक्षण कार्य प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के निर्देशानुसार दिया भी गया तो छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के द्वारा ही जानी चाहिए थी न कि पी0एम0जी0एस0वाई0 से इसकी प्रतिपूर्ति की जानी थी।

अतः प्रशिक्षण पर हुए रु0 17,162 के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 ई–भुगतान की धनराशि रु0 55.35 लाख को रोकड बही में प्रविष्टि न किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 3/XXVII(6)/2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई–भुगतान प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण **अधिकारी** इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल पंजिका इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, मसूरी वृत्त, देहरादून की रोकडबही की विस्तृत लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि विस्तृत जॉच हेतु चयनित माह मई 2017 तथा अंकगणितीय शुद्वता जॉच हेतु चयनित माह मार्च 2017 में कोषागार द्वारा प्राप्त फार्म बी0एम0–05 के सी0टी0आर0 के कुल रु0 11.36 लाख (मई 2017 : रु0 5.70 लाख एवं मार्च 2017 : रु0 5.66 लाख) की सकल धनराशि को रोकड बही में दर्शाया नहीं गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

बिल सं0	दिनॉक	वाउचर सं0	सकल राशि	मद
81105	08.05.2017	ए25150012	272360	वेतन एवं भत्ते
11205	31.05.2017	ए25150035	297310	–तदैव–
31103	03.03.2017	ए25150014	272360	–तदैव–
61103	16.03.2017	ए25150021	273669	–तदैव–
38	24.03.2017	बी25150513	1508	जलकर
39	24.03.2017	बी25150515	918	विद्युतकर
40	24.03.2017	बी25150516	15850	लेखन सामग्री
41	24.03.2017	बी25150517	2124	कार्यालय व्यय
	योगः–		**1136099**	

इस प्रकार, कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा अवधि नवम्बर 2016 से अप्रैल 2018 तक कोषागार से किए गये भुगतान की कुल धनराशि रु0 55.35 लाख की प्रविष्टि रोकड–बही में नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधीक्षण अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि कोषागार से समस्त भुगतान सीधे किए जाने के कारण रोकड–बही में उसकी प्रविष्टि नहीं की गयी। भविष्य में समस्त ई–भुगतान की प्रविष्टि रोकड बही में की जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही निर्गत किए गये थे जिनका कार्यालय को अनुपालन किया जाना चाहिए था।

अतः ई–भुगतान की धनराशि रु0 55.35 लाख को रोकड बही में प्रविष्टि न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
142 / 2016–17	–	....	–

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
142 / 2016–17	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	लम्बित प्रस्तर पी0आई0यू0 टिहरी–1 से सम्बन्धित थे तथा समस्त कार्य एवं भुगतान उन्हीं के स्तर से किया गया। इस कार्यालय की इन लम्बित प्रस्तरों में प्रशासनिक स्वीकृतियों के अतिरिक्त अन्य कोई भूमिका नहीं थी।	कार्यालय के प्रतिउत्तर प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लो0नि0वि0, मसूरी वृत्त, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार **व्यक्त** करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री सुशील कुमार गुप्ता	अधीक्षण अभियंता	14.09.2016 से 11.09.2017
3.	श्री शूरवीर सिंह तोमर	– तदैव –	11.09.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लो0नि0वि0, मसूरी वृत्त, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप– महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.